कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, उ0प्र0, फैजाबाद।

पत्रांक 1618 /14–10(फैजाबाद) दिनांक,फैजाबाद,मई 12 /2016।

सेवा मे,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– गाटा/खसरा नं0 568 मि0 व 570 मि0 ग्राम– सफदरभारी, तहसील–मिल्कीपुर (रायबरेली– फैजाबाद) जनपद– फैजाबाद में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 का रिटेल आउटलेट खोलने की अनुमति का प्रस्ताव।

सन्दर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग फैजाबाद का पत्रांक– 4265/14–4 दिनांक 30–04–2016

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी फैजाबाद ने अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी फैजाबाद द्वारा उक्त प्रकरण में उपलब्ध कराये गये सूचना/अभिलेख तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्रांक द्वितीय/यू0पी0/1149/आर0ओ0सी0/2012/एफ0सी0/161 दिनांक 14–05–2012 के प्राविधानों के अनुरूप प्रस्ताव दो प्रतियों में संस्तुति सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ओ0पी0 सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा0वा0,सरयू क्षेत्र,फैजाबाद।

पत्रांक /उक्त दिनांकित

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग फैजाबाद को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि जब तक उक्त गैरवानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य न होने दें।

प्रतिलिपिः– इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0, प्रादेशिक कार्यालय चन्द्रकान्ता भवन न्यू बुद्धनगर कालोनी देवरिया बाईपास तारामण्डल रोड, गोरखपुर–273016 को उक्त प्रकरण में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि जब तक उक्त गैरवानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ किया जाय।

(ओ0पी0 सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा0वा0,सरयू क्षेत्र,फैजाबाद।